भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2743 का उत्तर

तमिलनाडु के गुम्मिडिपूंडी में रेल दुर्घटना

2743. श्री टी. आर. बालू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के गुम्मिडिपूंडी में हाल ही में हुई बड़ी दुर्घटना दक्षिण रेलवे द्वारा कवच उपकरण का उपयोग शुरू नहीं किए जाने के कारण हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दक्षिण रेलवे की रेलगाड़ियों में कवच सुविधाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुई विभिन्न दुर्घटनाओं के संबंध में की गई जांच, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): गुम्मिडिपूण्डी रेल दुर्घटना कवच के प्रावधान से जुड़ी नहीं है। कवच प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

1. **कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षा प्रणाली है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसे सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता होती है।**

2. यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने में सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरक्षित ढंग से चलाने में भी सहायता करता है।

3. यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। प्राप्त अनुभवों और स्वतंत्र संरक्षा आकलनकर्ताओं (आईएसए) द्वारा प्रणाली के स्वतंत्र संरक्षा आकलन के आधार पर कवच के संस्करण 3.2 की आपूर्ति के लिए 2018-19 में तीन फर्मों को मंजूरी दी गई थी।

4. कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था।

5. कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में शामिल मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

   क). प्रत्येक स्टेशन, ब्लॉक खंड पर स्टेशन कवच की संस्थापना।

   ख). पूरे रेलपथ की लंबाई पर आरएफआईडी टैग का संस्थापन।

   ग). संपूर्ण रेलखंड में दूरसंचार टावरों का संस्थापन।

   घ). रेलपथ के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।

   ङ). भारतीय रेल पर परिचालित किए जाने वाले प्रत्येक रेल इंजन पर लोको कवच का प्रावधान।

6. दक्षिण मध्य रेलवे में 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच के संस्करण 3.2 की संस्थापना आधार पर अत्यधिक अनुभव प्राप्त हुए। इन अनुभवों का लाभ उठाते हुए आगे सुधार किए गए। अंततः दिनांक 16.07.2024 को आरडीएसओ द्वारा कवच संस्करण 4.0 विशिष्टियों को अनुमोदित किया गया।

7. कवच के संस्करण 4.0 में विभिन्न रेल नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। भारतीय रेल हेतु संरक्षा के संबंध में यह विशिष्ट उपलब्धि है। अल्प अवधि के भीतर, भारतीय रेल द्वारा स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया गया, परीक्षण किया गया और संस्थापित करना शुरू किया गया।

8. कवच के संस्करण 4.0 में प्रमुख सुधारों में अधिक सटीक अवस्थिति, बड़े यार्ड के लिए सिगनल संबंधी बेहतर जानकारी, ओएफसी पर स्टेशन से स्टेशन तक कवच इंटरफेस और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के लिए सीधा इंटरफेस शामिल हैं। इन सुधारों के साथ अब बड़े पैमाने पर इसका संस्थापन शुरू हो गया है।

9. अक्टूबर 2024 तक भारतीय रेल में कवच प्रणाली में शामिल प्रमुख मदों की प्रगति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मदें	प्रगति
i.	ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	5116 कि.मी.
ii.	दूरसंचार टावरों का संस्थापन	538 अदद
iii.	स्टेशनों पर कवच का प्रावधान	521 अदद
iv.	रेल इंजनों में कवच का प्रावधान	687 रेलइंजन
v.	ट्रैक साइड उपस्कर का संस्थापन	3413 मार्ग कि.मी.

10. कवच प्रणाली के कार्यन्वयन का अगले चरण की योजना निम्नानुसार हैः-

    क. 10,000 रेल इंजनों में इसकी संस्थापना हेतु परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है।

ख. लगभग 15000 मार्ग कि.मी. के लिए कवच के रेलपथ साइड कार्यों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इसमें भारतीय रेल के सभी स्वर्णिम चतुर्भुज रेलमार्ग, स्वर्णिम विकर्ण रेलमार्ग, उच्च घनत्व नेटवर्क और चिह्नित रेल खंड शामिल हैं।

11. वर्तमान में, कवच प्रणाली की आपूर्ति के लिए 3 मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को अनुमोदित किया गया है। क्षमता और कार्यान्वयन के स्तर को बढ़ाने के लिए और अधिक ओईएम के परीक्षण और अनुमोदन विभिन्न चरणों में हैं।

12. सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय रेल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में कवच से संबंधित विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक 9000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन पाठ्यक्रमों को इरिसेट के सहयोग से तैयार किया गया है।

रेल दुर्घटनाओं की जांच नागर विमानन मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय, रेलवे संरक्षा आयोग और विभागीय जांच समितियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। तदनुसार पिछले तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं सहित सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई है। एजेंसियों द्वारा उनकी रिपोर्ट में सुझाई गई सिफारिशों पर संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की गई।

*****